न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
267 / 2024	18.07.2024	27.02.2026

पीठासीन अधिकारी– श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– द्वारक्या बाई पुत्री रामकरण पत्नि भगवान सिंह आयु 52 वर्ष जाति मीणा निवासी ऐबरा हाल निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
2– धोली बाई पुत्री रामकरण पत्नि मोहनलाल जाति मीणा निवासी ऐबरा हाल निवासी बमूलिया रणमल तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

प्रार्थीगण(वादीगण)

बनाम

1– रतनी बाई पत्नि रामकरण
2– रामभरत आत्मज बृजमोहन
3– संजया पुत्री बृजमोहन
4– संतोष पत्नि बृजमोहन
5– हरिओम आत्मज बृजमोहन
6– हरिराम आत्मज बृजमोहन
7– केली पुत्री बजरंगा
8– छीता पुत्री बजरंगा जाति मीणा निवासीगण ऐबरा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
9– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा।

अप्रार्थीगण(प्रतिवादीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 धारा 11 जा0 दी0

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 धारा 11 जा0 दी0 बाबत निम्न निवेदन करता है:–

यह कि उक्त वाद में वादीगण द्वारा यह कथन किया है कि पक्षकार मीणा जाति है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकारी का नियम लागू नहीं होता है तथा रामकरण जी के पुत्र व कोई संतान नहीं थी केवल वादीगण ही उनकी संतान है। वादीगण रामकरण जी की पुत्रियां है। प्रतिवादी नं0 1 रामकरण की बेवा है। वादीगण द्वारा इस बात को स्वीकार किया है कि मीणा जाति में पुत्रियों का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस कारण वादीगण द्वारा पेश वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण वादीगण को वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी नं0 1 रामकरण जी की बेवा है जिसको कोई पुत्र संतान नहीं होने के कारण बेवा को रामकरण जी की संपत्ति को प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह कि उक्त वाद में मीणा जाति में पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं होने के

कारण वादीगण को वाद लाने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण वादी का वाद खारीज होने योग्य है वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित है। इस कारण वादी का वाद खारीज होने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0 दी0 स्वीकार कर वादी का वाद सव्यव खारीज फरमाया जावें।

प्रार्थी (प्रतिवादी) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शा0फाईल किया जाकर नकल अप्रार्थी (वादीया) को दिलवाई गयी।

अप्रार्थीगण (वादीयागण) अधि0 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 का जवाब पेश किया जो शामिल फाईल किया जाता है। प्रस्तुत जवाब अनुसार– यह कि वादीगण का वाद कोई विधि विरूद्व नहीं है पुरूष वारिस होने पर ही पुत्रियों को अधिकार मीणा जाति में नहीं है ना कानूनी प्रावधान है उक्त वाद में पक्षकारान के कोई पुरूष वारिस नहीं है केवल पुत्रिया होनें से उक्त वाद लाने का अधिकार होने से उक्त वाद माननीय न्यायालय में पोषणीय है जिससे प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें। यह कि शेष तथ्य वक्त बहस मौखिक रूप से निवेदन किये जावेंगे। अतः प्रार्थना पत्र सव्यव खारीज फरमाया जावें। प्रार्थना पत्र बहस पर नियत किया गया।

अतः उक्त प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। प्रतिवादी(प्रार्थी) अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि रामकरण जी के पुत्र संतान नहीं है केवल 2 पुत्रियां है तथा रामकरण की बेवा रतनी बाई है। अप्रार्थी (वादी) अधि0 ने बहस में कथन किया कि रामकरण व बृजमोहन दोनों सगे भाई है।

प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल्स 11 सीपीसी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड एवं बहस का अवलोकन किया गया। प्रकरण में जो तथ्य उभय पक्ष द्वारा अवगत कराये है को साक्ष्य से प्रमाणित होने का विषय है न कि इस प्रकार प्रार्थना पत्र के आधार पर वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है या नहीं। यह प्रमुखतया वाद के विचाराधीन बिन्दु है, जिसका विनिश्च विवाद्यक बिन्दुओं के सम्यक विनिश्चय पश्चात मेरिट पर ही किया जाना उचित है।

प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में पूर्णतया स्पष्ट नहीं किया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र किस आधार पर स्वीकार किया जावे। सिविल प्रकिया संहित आदेश 7 नियम 11 के जिन आधारों पर वाद पत्र नामंजूर किया जावे। प्रार्थी प्रस्तुत वाद के सम्बन्ध में अपने प्रार्थना पत्र में किसी भी दशा को प्रमाणित नहीं कर पाये है। वादपत्र के आधार, वाद की विषयवस्तु, वांछित रिलीफ तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी तथा उक्त प्रार्थना पत्र में वांछित रिलीफ तथा अन्य दस्तावेजात का अध्ययन करने पर यह पाते है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना ही वाद से संबंधित विषयवस्तु के क्रम में उचित है।

अतः समुचित कारणाभाव तथा साक्ष्याभाव में प्रार्थना पत्र प्रार्थी (प्रतिवादी क्रम 1) अस्वीकार किया जाना उचित है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति सम्बन्धित पत्रावली मिसल नं0 267/2024 में संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दौगोद